संख्या-33/2021/1967/58-1-2021-2/1(1)6टीसी ए

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य पोषण मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20-के रा)" के मानक मद-42 अन्य व्यय में भुगतान की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29/रा0पो0मि0/आई.सी.टी.-आर.टी.एम./2021-22, दिनांक 19.05.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20-के रा)" के मानक मद-42 अन्य व्यय में आई0सी0टी0-आर0टी0एम0 के अन्तर्गत वोडाफोन आईडिया लि0 (पूर्ववर्ती मेसर्स वोडाफोन मोबाईल सर्विसेज लि0) के दिनांक 01.07.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लम्बित बिलों की धनराशि रू0 2,75,19,089.00 (रू0 दो करोड़ पचहत्तर लाख उन्नीस हजार नवासी मात्र)(के0 रू0 22,015,271.20-रा0रू0 5,503,817.80) के भुगतान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुगंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आबंटन/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/वी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/वी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल,2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या-7/2020-बी-1-306/दस-2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 तथा शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के

अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत दावे नियमानुसार तथा सही हैं।

(8) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ/राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20-के/रा)" के मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-4-448 /दस-2021-22, दिनांक 20 जुलाई, 2021 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2021/1967(1)/58-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0,लखनऊ।
2. महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1।
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
6. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी,निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।